

वसि्थापति बच्चों हेतु संयुक्त राष्ट्र दशानरिदेश

प्रलिमिस् के लयि:

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM), UN चलिड्रन फंड (UNICEF), क्लाइमेट चेंज, चलिड्रन क्लाइमेट रसिक् इंडेक्स्, नोट्रे डेम ग्लोबल एडेप्टेशन इनशिऐटिव (ND-GAIN) इंडेक्स्

मेन्स् के लयि:

प्रवासी बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [संयुक्त राष्ट्र](#) समर्थति एजेंसयिों ने जलवायु परिवर्तन के कारण वसि्थापति हुए बच्चों की सुरक्षा के लयि पहली बार वैश्वकि नीतिढिँचा प्रदान करने हेतु दशिा-नरिदेश जारी कयि हैं ।

जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव:

- जलवायु परिवर्तन मौजूदा पर्यावरणीय, सामाजकि, राजनीतकि, आर्थकि और जनसांख्यकिीय स्थतियिों के बीच वभिजन की स्थतिपैदा कर रहा है जो लोगों के स्थानांतरति होने का नरिणय लेने में योगदान दे रहा है ।
 - आने वाले वर्षों में लाखों और बच्चों को स्थानांतरति होने के लयि मजबूर कयि जा सकता है ।
- अकेले वर्ष2020 में मौसम संबंधी प्रभावों के बाद लगभग 10 मिलियन बच्चे वसि्थापति हो गए ।
- इसके अतरिक्त्त दुनयिा के 2.2 बलियिन बच्चों में से लगभग आधे या लगभग एक बलियिन लड़के और लड़कयिों 33 देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के उच्च जोखमि में रहते हैं ।
- इसके अलावा चरम जलवायु जैसे बढ़ते समुद्र के स्तर, तूफान, वनाग्ना, खराब फसलें अधकि-से-अधकि बच्चों और परवारिों को अपने घरों से दूर कर रही हैं ।
 - दुनयिा भर में प्रवासी बच्चे [जेनोफोबयिा](#) के खतरनाक स्तर, कोवडि -19 महामारी के सामाजकि आर्थकि परिणामों और आवश्यक सेवाओं तक सीमति पहुँच का सामना कर रहे हैं ।
 - वसि्थापति बच्चों को [दुर्व्यवहार](#), [तस्करी](#) और [शोषण](#) का अधकि खतरा होता है ।
 - उनकी शकिषा और स्वास्थय सेवा तक पहुँच खोने की अधकि संभावना है तथा उन्हें अक्सर जल्दी शादी एवं बाल श्रम के लयि मजबूर कयि जाता है ।

वसि्थापति बच्चों हेतु संयुक्त राष्ट्र के दशिा-नरिदेश:

- ये दशिा-नरिदेश [प्रवासन हेतु अंतर्राष्टरीय संगठन \(IOM\)](#), [संयुक्त राष्ट्र बाल कोष \(UNICEF\)](#), जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की एक संयुक्त पहल है ।
 - दशिा-नरिदेश आंतरकि और साथ ही सीमा पार प्रवास दोनों को कवर करते हैं ।
- इसमें नौ सदिधांतों का एक समूह है जो उन बच्चों की अनूठी कमजोरयिों को संबोधति करता है जनिहें समाप्त कर दयिा गया है ।
 - सदिधांत [बाल अधकिारों पर अभसिमय](#) पर आधारति हैं और मौजूदा परिचालन दशिा-नरिदेशों तथा रूपरेखाओं द्वारा सूचित कयि जाते हैं ।
- ये नौ सदिधांत इस प्रकार हैं:
 - अधकिार-आधारति दृष्टिकोण
 - बच्चे के सर्वोत्तम हति
 - जवाबदेही
 - जागरूकता और नरिणय लेने में भागीदारी
 - पारवारिकि एकता
 - रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण

- शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच
- गैर भेदभाव
- राष्ट्रीयता

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय:

- वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों का अभिसमय अपनाया गया।
- अभिसमय के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता दी जाती है।
- यह अभिसमय प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है।
 - इसमें शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, बलात्कार एवं यौन शोषण सहित मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार जैसे विषय शामिल हैं।
- यह दुनिया की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार संधि है।

दशा-नरिदेशों की आवश्यकता:

- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आगे बढ़ने वाले बच्चों की ज़रूरतों और अधिकारों को संबोधित करने के लिये वर्तमान में कोई वैश्विक नीतिगत ढाँचा नहीं है।
 - जहाँ बच्चों से संबंधित प्रवास नीतियाँ मौजूद हैं, वे जलवायु और पर्यावरणीय कारकों पर विचार नहीं करते हैं, और जहाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियाँ वदियमान हैं, वे आमतौर पर बच्चों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।
- जलवायु आपातकाल का मानव गतिशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है और आगे भी इसकी संभावना वदियमान है।
 - इसका प्रभाव हमारे समुदायों के विशेष वर्गों जैसे कि बच्चों पर सबसे गंभीर होगा।
 - ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों को विकसित करने के लिये राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज समूहों हेतु एक रूपरेखा के रूप में काम करेंगे।

जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव:

- बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक:
 - यह बच्चों के आवश्यक सेवाओं तक पहुँच के आधार पर जलवायु और पर्यावरणीय आपदाओं, जैसे कि चक्रवात और हीटवेव के साथ-साथ उन आपदाओं के प्रतिक्रियात्मक भेद्यता के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है।
 - यह बच्चों के दृष्टिकोण से जलवायु जोखिम का पहला व्यापक विश्लेषण है।
- नोड्रे डेम ग्लोबल एडाप्टेशन इनशिएटिव (ND-GAIN) इंडेक्स:
 - सूचकांक से पता चलता है कि बच्चे जलवायु परिवर्तन का परिणाम भुगतते हैं क्योंकि यह उनके अस्तित्व, सुरक्षा, विकास और भागीदारी के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।
 - बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के अन्य संभावित प्रभाव में अनाथ होना, तस्करी, बाल श्रम, शिक्षा और विकास के अवसरों की हानि, परिवार से अलग होना, बेघर होना, भीख माँगना, आघात, भावनात्मक व्यवधान, बीमारियाँ आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- जबकि नए ढाँचे में नए कानूनी दायित्व शामिल नहीं हैं, वे प्रमुख संधिदाताओं को शामिल करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं जिनकी पहले ही अंतरराष्ट्रीय कानून में पुष्टि की जा चुकी है, इसे दुनिया भर की सरकारों द्वारा अपनाया गया है।
- इसके अलावा दुनिया भर की सरकारों को मार्गदर्शक संधिदाताओं के आलोक में अपनी नीतियों की समीक्षा करने और अभी ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित कर सकें कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाले बच्चों को वर्तमान व भविष्य में संरक्षित किया जा सके।
 - इन संधिदाताओं द्वारा सूचित समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक साथ काम कर सरकारें, नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय संगठन इस कदम पर बच्चों के अधिकारों और कल्याण की बेहतर रक्षा कर सकते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

Q. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में नमिनलखिति पर विचार कीजिये: (2010)

1. विकास का अधिकार
2. अभिव्यक्ति का अधिकार
3. मनोरंजन का अधिकार

उपर्युक्त में से कौन-सा/से बच्चे का अधिकार है/हैं?

(a) केवल 1

- (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनसैफ) की स्थापना करके बाल अधिकारों के महत्त्व को घोषित करने की दशा में अपना पहला कदम उठाया। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया, जिससे यह बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता को पहचानने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ बन गया।
- बाल अधिकारों पर विशेष रूप से केंद्रित संयुक्त राष्ट्र का पहला दस्तावेज़ बाल अधिकारों की घोषणा था, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ होने के बजाय यह सरकारों के लिये आचरण के नैतिक मार्गदर्शक की तरह था। यह 1989 तक नहीं था कि वैश्विक समुदाय ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया, जिससे यह बाल अधिकारों से संबंधित पहला अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ बन गया।
- कन्वेंशन, जो 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ, में जीवन के अधिकार, विकास का अधिकार, खेल और मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, भागीदारी का अधिकार, अभिव्यक्ति सहित बाल अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों को शामिल करते हुए 54 अनुच्छेद शामिल हैं। अतः 1, 2 और 3 सही हैं।

अतः विकल्प D सही उत्तर है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/guidelines-un-guidelines-for-displaced-children>

